राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4419/2020

रणजीत सिंह पुत्र नादर सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, जाति रायसिख, (जन्म तिथि - 20-10-1964), निवासी वार्ड संख्या 25 नया, हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सरकार के सचिव के माध्यम से, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीज भावर, पूसा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के माध्यम से।
3. केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर निदेशक के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री नितिन त्रिवेदी
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री जयदेव सिंह सलूजा

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्टेबल **05/04/2023**

1. मामला दूसरे स्थगन आवेदन पर विचार के लिए आया है।

2. इस न्यायालय द्वारा इस मामले को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2811/2022 के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश के बावजूद, उक्त मामले को रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हैरानी की बात है बल्कि काफी बेशर्मी के साथ, संबंधित क्लर्क ने इस मामले को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ सूचीबद्ध नहीं किया है:- "सीडब्ल्यू 2811/22 पहले से ही डब्ल्यूसीपी 572/22 के रूप में टैग किया गया है जिसमें अगली तारीख 24/4/23 है"।

3. यह न्यायालय संबंधित क्लर्क के दृष्टिकोण पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाता है। जब न्यायालय मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है, तो वह किसी भी कारण से मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं कर सकता है, खासकर जब रिट याचिका को अवमान याचिका के रिकॉर्ड के साथ टैग किया गया है।

4. इस समय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन त्रिवेदी ने प्रार्थना की कि इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 को पारित अंतरिम आदेश, जिसे समय-समय पर 09.09.2020 तक बढ़ाया गया था, को अगली तारीख तक बढ़ाया जाए।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सलूजा ने याचिकाकर्ता की ऐसी प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि 09.09.2020 के बाद न तो अंतरिम आदेश कभी बढ़ाया गया था और न ही इसे अब बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत जबरदस्ती प्रावधान के अनुसार इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 को पारित अंतरिम आदेश समाप्त हो गया है।

6. श्री त्रिवेदी के अनुरोध पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले, प्रासंगिक तारीखों सहित पूर्ववर्ती तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा।

7. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका (संख्या 4419/2020) दायर की गई थी, जिसमें उन प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जो याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने वाले थे।

8. 28.05.2020 को, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:-

> *"नोटिस जारी करें। स्थगन आवेदन का नोटिस भी जारी करें, जो 13.07.2020 को वापस किया जा सके।*
>
> *इस बीच और अगले आदेश तक, याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं से बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उसे सुनवाई की अगली तारीख तक लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाएगी।"*

9. इसके बाद, मामला सबसे पहले 22.07.2020 को सूचीबद्ध किया गया और अंतरिम आदेश 09.09.2020 तक बढ़ा दिया गया।

10. 09.09.2020 को, विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष शिशियोदिया, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित हुए और अगली तारीख तक अंतरिम आदेश जारी रखने के निर्देश के साथ मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके बाद, लगभग एक वर्ष तक, रिट याचिका का कोई उत्तर दायर नहीं किया गया और इसे प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा

22.11.2021 और अगले दिन (23.11.2021 को) दायर किया गया। सम तारीख को श्री त्रिवेदी को उसकी एक प्रति प्रदान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

12. सौभाग्य से, न तो अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन और न ही मुख्य मामला उसके बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

13. इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 05.02.2022 (एसआईसी 05.02.2021) को एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए सेवाओं से मुक्त कर दिया, कि प्रत्यर्थीगण ने 23.11.2021 को अनुच्छेद 226(3) के तहत एक आवेदन दायर किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत निहित संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में, अंतरिम आदेश उसके चौदह दिनों की समाप्ति पर स्वचालित रूप से रद्द हो गयी है।

14. जैसे ही याचिकाकर्ता को उपर्युक्त संदर्भित आदेश दिनांक 05.02.2022 प्राप्त हुआ, उसने 14.02.2022 को दूसरा स्थगन आवेदन दायर कर दिया।

15. रिकॉर्ड से पता चलता है कि विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेदी ने 18.02.2022 को दूसरे स्थगन आवेदन को सूचीबद्ध करने के लिए अनुमति ली थी, लेकिन याचिकाकर्ता की निराशा के कारण, दूसरे स्थगन आवेदन को न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जैसा कि रिकॉर्ड में बताया गया है रिट याचिका संख्या 4419/2020 का पता नहीं चल सका (जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को रजिस्ट्री द्वारा बताया गया था)।

16. ऐसी स्थिति होने पर, याचिकाकर्ता ने एक नई रिट याचिका दायर की, जिसे एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2811/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया था और तथ्य-स्थिति को विस्तार से देखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 18.02.2022 के आदेश के अनुसार, दिनांक 05.02.2022 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी।

17. एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2811/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022, इस प्रकार है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के

समक्ष लंबित रिट याचिका में जहां न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के तहत दायर किया गया था, न्यायालय के समक्ष नहीं आया, अंतरिम आदेश स्वत: निरस्त मानते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया गया है और उस राशि की वसूली का आदेश पारित कर दिया गया है, जो रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया था।

प्रस्तुत प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, नोटिस जारी करें। स्थगन आवेदन का नोटिस भी जारी करें, जिसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर वापस किया जा सके।

इस बीच और अगले आदेश तक, आदेश दिनांक 05.02.2022 (गलत तरीके से 05.02.2021 दर्शाया गया) के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।

एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4419/2020 से जोड़ें।"

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेदी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 को जो अंतरिम आदेश दिया गया था, वह **अनिल चितौदा बनाम राजस्थान राज्य 2009 (4) आरएलडब्ल्यू 3385 (राजस्थान)** के मामले में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से उसके पैरा संख्या 29, 36, 37 और 38 और प्रार्थना की कि अंतरिम आदेश जो जारी है, अगली तारीख तक बढ़ाए जाने योग्य है।

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री सलूजा ने घीसा लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एआईआर 1981 में रिपोर्ट राजस्थान 65** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत निहित प्रावधान अनिवार्य हैं और अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन दाखिल करने पर अंतरिम आदेश 14 समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि आवेदन या मामला न्यायालय के विचार के लिए आया था

या नहीं, अंतरिम आदेश पहले ही रद्द हो चुका है और इसलिए, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

20. इस विषय पर रिकॉर्ड और कानून को सुना और पढ़ा।

21. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन, जो कथित तौर पर प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर किया गया है, को अब तक वर्तमान मामले के रिकॉर्ड के साथ टैग नहीं किया गया है (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4419/2020)।

22. कोर्ट मास्टर द्वारा जांच करने पर पता चला कि ऐसा आवेदन, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा 23.11.2021 को दायर किया गया बताया गया है, अज्ञात कारणों से अभी भी संबंधित क्लर्क के पास पड़ा हुआ है। यह भी बताया गया है कि लिपिक द्वारा इसका निस्तारण भी नहीं किया गया है।

23. प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की अनिश्चित स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है और केवल इसलिए कि मामला न्यायालय के विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं था, अनुच्छेद 226 के उप-खंड (3) के तहत एक आवेदन दायर करने के बाद, वे घोषणा करने के लिए आगे बढ़े हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर अंतरिम आदेश समाप्त हो गया है। प्रत्यर्थीगण ने न केवल याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया है, बल्कि उससे वह वेतन भी वसूलने की मांग की है, जो उन्होंने इस अवधि के दौरान भुगतान किया था।

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि सभी प्रभावों और उद्देश्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत स्थगन अवकाश आवेदन, जो बनाया गया है, को उचित रूप से दायर नहीं किया गया है, क्योंकि न ही इसका निपटारा किया गया है। न ही अभी तक न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा है। (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4419/2020)।

25. यह विडंबना है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 14.02.2022 को दूसरा स्थगन आवेदन दायर किया था, लेकिन उसे इस आधार पर या बहाने से अदालत के विचार के लिए नहीं रखा गया था कि एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4419/2020 का पता नहीं चल सका।

26. याचिकाकर्ता के लिए सौभाग्य से, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने उसके द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2811/2022 में, याचिकाकर्ता की दुर्दशा को समझा और 18.02.2022 को एक अंतरिम आदेश पारित करके उसके हित और अधिकारों की रक्षा की।

27. बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने और विभिन्न कानून रिपोर्टों के माध्यम से सर्फिंग करने पर, यह पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के परिणाम के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग विचार किए गए हैं, यदि दो सप्ताह के भीतर इसका निर्णय नहीं लिया है। घीसा लाल (सुप्रा.) के मामले में हमारे न्यायालय सहित कुछ उच्च न्यायालयों ने प्रावधान को अनिवार्य माना है, अन्य ने इसे निर्देशिका माना है। गौहाटी उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय का संदर्भ यहां दिया जा सकता है, जिसमें इस मुद्दे पर सभी निर्णयों पर विचार किया गया है और विस्तार से चर्चा की गई है **(रुकुवोतो रिंगा और अन्य बनाम मेयालेमला और अन्य, 26.06.2020 को निर्णय लिया गया: एम.ए.एन.यू./जीएच/0249/2020)।**

28. लेकिन फिर, समय बदल गया है। चार दशक बीत चुके हैं और इस बीच पूरी गतिशीलता बदल गई है। वर्ष 1981 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को फिर से देखने की जरूरत है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि न्यायालय के डॉकेट भरे हुए हैं और मामलों की बहुआयामी संस्था है, दैनिक आधार पर कम से कम 200 से कम मामले किसी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होते हैं।

29. ऐसी स्थिति से अवगत होने के कारण, अनिल चितौड़ा के मामले (सुप्रा.) में इस न्यायालय ने वर्ष 2009 में एक उचित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और घीसा लाल (सुप्रा.) के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरिम आदेश को इसलिए हटा दिया गया है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत कोई आवेदन दायर किया गया है।

30. यह न्यायालय अनिल चितौड़ा (सुप्रा.) के निर्णय से प्रासंगिक सार को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझता है:-

"27. जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

है कि अदालतें भारी बोझ से दबी है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मामले नियमित अदालती घंटों में विचार के लिए नहीं पहुंचते हैं और दी गई परिस्थितियों में, ऐसे 'पहुंचे नहीं' मामले के लिए किसी अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। तथ्य यह है कि ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों में, न्यायालय ने अंतरिम आदेश को जारी रखने या खाली करने का निर्णय लेने से पहले गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई नहीं की है, यह पूर्वोक्त आदेश-पत्रों में से कई में प्रयुक्त अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। 'यदि' विद्यमान है। यह स्पष्ट है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, ऐसा प्रत्येक आदेश केवल मामले को किसी अन्य तारीख पर रखने के लिए था, बिना न्यायालय के मामले के रिकॉर्ड पर खुद को लागू करने का अवसर था ताकि एक सुविचारित आदेश पारित किया जा सके।

28... ... ...

29. ऐसे मामलों में और ऐसे अंतरिम आदेशों के संबंध में, जहां इस आशय के संकेत स्पष्ट हैं कि न्यायालय ने दी गई तारीखों पर गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया था, और अंतरिम आदेश को समय के साथ समाप्त करने का कभी इरादा नहीं था। या किसी विशेष तिथि के अंत के साथ, यह सुझाव देना असाधारण होगा कि 'तब तक' अभिव्यक्ति के मात्र उपयोग के लिए, न्यायालय का इरादा अंतरिम आदेश केवल अगली दी गई तारीख तक जीवित रहने का था या कि न्यायालय ने एक सुविचारित आदेश पारित किया था आदेश दिया गया है कि अंतरिम आदेश ऐसी अगली तारीख के साथ समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए, भले ही दी गई तारीख पर

मामले पर विचार किया जाएगा या नहीं। इस प्रकार के मामलों में, इस न्यायालय की राय में, भले ही न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया हो या अगली तारीख तक बढ़ाया गया हो, दी गई तारीख पर मामला विचार के लिए नहीं पहुंचने की स्थिति में, अंतरिम आदेश रिक्त हुआ माना नहीं जाएगा।

... ...

... ...

36. यह न्यायालय यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करेगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के तहत आवेदन जैसे अंतरिम आदेश की ऐसी सामान्य मुद्रा के विपरीत संकेत देने वाली परिस्थितियाँ या कारक हो सकते हैं, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के बल के अनुसार, यदि दी गई अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा; और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां याचिकाकर्ता के आचरण से पता चलता है कि वह मामले से बच रहा है और जहां अदालत अंतरिम आदेश को तब तक लागू करने के लिए इच्छुक नहीं हो सकती जब तक कि उसे बढ़ाया न जाए; और ऐसे अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनके लिए अंतरिम आदेश की सामान्य मुद्रा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे मामले के दौरान नहीं माना जा सकता है और न ही इसे इस हद तक अंधाधुंध रूप से लागू किया जा सकता है कि कोई विपरीत कारण न होने के बावजूद, हर मामले में अंतरिम आदेश में यदि अवधि नहीं बढ़ाई गई तो इसे रिक्त माना जाएगा, भले ही मामला किसी निश्चित तारीख पर उठाया गया हो या नहीं।

37. यह देखा जा सकता है कि नियमित न्यायालय में समय में

मामले के विचार के लिए नहीं पहुंचने के अलावा, कई कारक और कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई मामला न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं आ सकता है। ऐसी घटनाएँ और उदाहरण अज्ञात नहीं हैं कि किसी दिन अचानक छुट्टी घोषित कर दी जाती है या न्यायालय किसी भी कारण या परिस्थिति से बंद रहता है। ऐसे कई अन्य कारण और कारक हैं जिनके कारण दिए गए कार्य दिवस पर भी कोई मामला बोर्ड पर नहीं आता है या किसी गलती, गलती, कारण या परिस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा विचार के लिए नहीं लिया जाता है, जिसे वादी के अलावा कहीं भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे सभी कारकों और ऐसी सभी परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, लेकिन इस न्यायालय की स्पष्ट राय है कि ऐसा कोई भी कारक या परिस्थिति न्याय के हित से ऊपर नहीं हो सकती है।

38. *तकनीकी दृष्टिकोण से जांच करने पर भी नतीजा वही निकलता है। जब किसी मामले को किसी अन्य दिन पोस्ट करने का आदेश दिया जाता है, तो आमतौर पर न्यायालय 'पुट ऑन' या 'लिस्ट ऑन' या 'स्टैंड ओवर टू' आदि अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। ऐसे किसी भी निर्देश का विशेष रूप से यह बताना होता है कि मामले को निर्धारित तिथि पर अगले दिन न्यायालय के समक्ष लाया जाना है। केवल वाद-सूची पर मामले को छापने को ऐसे निर्देशों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं माना जा सकता है जब तक कि मामले को विशेष रूप से बुलाया न जाए और न्यायालय के समक्ष न रखा जाए; जैसा कि इस न्यायालय में सामान्य प्रथा है कि कोर्ट मास्टर क्रम संख्या के साथ मामलों को एक-एक करके बुलाएगा और इस*

उद्देश्य के लिए बने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर ऐसे क्रम संख्या को प्रदर्शित करेगा। जब कोई मामला पहुंचा ही नहीं और बुलाया ही नहीं गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि मामला न्यायालय के समक्ष रखा जा चुका है। इस संदर्भ में, अंतरिम आदेश के प्रयोजन के लिए 'अगली तारीख' सुनवाई की अगली प्रभावी तारीख तभी हो सकती है जब मामला वास्तव में अदालत द्वारा उठाया और विचार किया गया हो। भले ही मामले को अगली तारीख पर अदालत के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश को पिछली तारीख पर अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया हो, जब तक कि वास्तव में नहीं बुलाया गया हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मामला अदालत के समक्ष रखा गया है। ऐसे मामले में अंतिम तिथि के आदेश की आवश्यकता तभी पूरी होगी जब मामला वास्तव में न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा, उससे पहले नहीं, जब तक ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऊपर जो देखा गया है उसके अधीन अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

31. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग विचारों द्वारा तत्काल आदेश पर बोझ डालने के बजाय, यह न्यायालय अनिल चितौदा (सुप्रा.) के मामले में जो रखा गया है, उससे बंधा हुआ महसूस करता है।

32. अनिल चितौड़ा (सुप्रा.) के मामले में दिए गए कारणों के अलावा, यह मानने के अतिरिक्त कारण हैं कि वर्तमान मामले में अंतरिम आदेश लागू होना बंद नहीं हुआ है। कारणों को स्थापित करने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 226 को पुन: प्रस्तुत करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा।

"226.कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति

(1) अनुच्छेद 32 में किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, उचित मामलों में, किसी भी सरकार को, उन

क्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार वारंटो और सर्टिओरारी, या उनमें से किसी की प्रकृति में रिट शामिल हैं।

(2) खंड (1) द्वारा किसी भी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके भीतर कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप में है। ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण की सीट या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है

(3) जहां कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ अंतरिम आदेश, चाहे निषेधाज्ञा या रोक के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, खंड (1) के तहत एक याचिका पर या उससे संबंधित किसी भी कार्यवाही में दिया जाता है,

(a) ऐसे पक्ष को ऐसी याचिका की प्रतियां और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना; और

(b) ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना,

ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रति उस पक्ष को देता है जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या ऐसे पक्ष के अधिवक्ता को देता है, तो उच्च न्यायालय एक अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करेगा। उस तारीख से दो सप्ताह, जिस दिन यह प्राप्त होता है या उस तारीख

से, जिस दिन ऐसे आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाती है, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद हो जाता है, अगले की समाप्ति से पहले उसके बाद का दिन जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है; और यदि आवेदन का निपटारा इस प्रकार नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, उक्त अगले दिन की समाप्ति पर, रद्द हो जाएगा।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को दी गई शक्ति का अनादर नहीं होगी।

33. उपरोक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि 'उच्च न्यायालय' शब्द का प्रयोग खंड (1), (2) और (4) में एक-एक बार और खंड (3) में चार बार किया गया है। निस्संदेह, खंड (1), (2) और (4) में 'उच्च न्यायालय' अभिव्यक्ति का उपयोग 'उच्च न्यायालय' के न्यायिक पक्ष या सीट को इंगित करने के लिए किया गया है। यहां तक कि खंड (3) में भी, अभिव्यक्ति 'उच्च न्यायालय' स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय की न्यायिक सीट को इंगित करता है, निश्चित रूप से दूसरी पंक्ति में मौजूद पहले ऐसे शब्द, अर्थात् 'उच्च न्यायालय के लिए आवेदन' के संबंध में कुछ भ्रम की स्थिति है। कुछ न्यायालयों ने इसे यह निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का संदर्भ माना है कि यदि अनुच्छेद 226(3) के तहत कोई आवेदन दायर किया गया है तो इस तथ्य की परवाह किए बिना कि आवेदन न्यायालय के विचार के लिए नहीं आया है अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा।

34. इस न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 226 के खंड (3) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'उच्च न्यायालय' को 'उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। आम तौर पर निर्माण का नियम यह है कि एक ही अभिव्यक्ति, जहां भी वह एक ही क़ानून में एक से अधिक बार प्रकट होती है, एक ही प्रावधान में, एक ही अर्थ प्राप्त करना चाहिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न सुझाए। (देखें

सुरेश चंद बनाम गुलाम चिश्ती, एआईआर 1990 (एससी) 897)

35. प्रयुक्त वाक्यांश है 'उच्च न्यायालय में आवेदन करता है'। प्रयुक्त शब्द 'आवेदन करता है' हैं, न कि 'दर्ज' या उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में आवेदन 'प्रस्तुत' करता है।

36. तदनुसार, खंड (3) में प्रयुक्त वाक्यांश, 'उच्च न्यायालय में आवेदन करता है' का अर्थ मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय में आवेदन का अर्थ लगाया जाना चाहिए-जब आवेदन उचित पीठ द्वारा विचार के लिए लिया जाता है। केवल उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में आवेदन दाखिल करने या दाखिल करने को उच्च न्यायालय में किया गया आवेदन नहीं माना जा सकता है।

37. यदि ऐसी व्याख्या नहीं दी गई है, तो ऐसे मामलों में, जहां 14वां दिन शनिवार को या गर्मी की छुट्टी के दौरान समाप्त होता है-जब रजिस्ट्री खुलती है लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्य नहीं होता है, तो अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा या यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री खुली है, इसे रद्द कर दिया गया है। इस तरह की व्याख्या से वही नतीजा निकलेगा जिसकी 44$^{वें}$ संवैधानिक संशोधन में कभी मंशा नहीं थी।

38. इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां आवेदन में कुछ खामियां हैं या आवेदन किसी संबंध में अधूरा है या हस्ताक्षर, न्यायालय शुल्क आदि से संबंधित कार्यालय की आपत्तियां हैं और चरम मामले में जहां आवेदन ही गलत है, रजिस्ट्री न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226(3) के तहत अवकाश स्थगन आवेदन नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में, यदि याचिकाकर्ता आगे बढ़ता है, तो भी आवेदन न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम क्या निकला? ऐसे याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता की बिना किसी गलती के रद्द कर दिया गया माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, चूक के कारण या आवेदक की कोई संदिग्ध चाल हो सकती है, जो स्टे हटवाना चाहता है-अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा।

39. ऐसा हो सकता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों या महामारी जैसी अभूतपूर्व स्थिति के कारण, अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन कर्मचारियों की कमी या सूचीबद्ध होने वाले मामलों की सीमित संख्या के कारण सूचीबद्ध भी नहीं किया

जा सकता है। जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है कि हाथ में आए मामले में यही हुआ है। इतना ही नहीं कि रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 4419/2020) ने 09.09.2020 के बाद से सुनवाई के लिए नहीं आई, यहां तक कि अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन भी अदालत के समक्ष विचार के लिए कभी नहीं आया है क्योंकि यह 23.11.2021 को दायर किया गया था।

40. मौजूदा मामले के तथ्य बता रहे हैं. वे उन स्थितियों और आकस्मिकताओं से स्पष्ट रूप से आच्छादित हैं जिन पर अनिल चितौड़ा (सुप्रा.) के मामले का निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।

41. एक और पहलू भी है, प्रत्यर्थीगण नेबिना रिकॉर्ड की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की परवाह किए कि उनका आवेदन वास्तव में संबंधित मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध है या नहीं स्वयं यह घोषणा कर दी है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश समाप्त हो गया है।

42. रजिस्ट्री के कर्मचारियों द्वारा एक अनजाने में हुई त्रुटि, प्रशासनिक निष्क्रियता या मंत्रिस्तरीय शरारत उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पूर्ण शक्ति के प्रयोग में पारित आदेश को मिटा या मिटा नहीं सकती है। लिपिकीय कर्मचारियों की गलती, मूर्खता या सनक किसी नागरिक को *"एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रेवबिट"* के सिद्धांत पर घड़ी की टिक टिक करने या 14 दिन बीतने पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सुरक्षा को समाप्त नहीं कर सकती है।

43. यहां ऊपर जो देखा गया है के अलावा और अनिल चितौड़ा के मामले (सुप्रा.) में इस न्यायालय ने जो कहा है, उसके अलावा, इस न्यायालय का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई प्रक्रियात्मक औपचारिकता के अधीन नहीं है। केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन करने या दाखिल करने और 14 दिन बीत जाने का इंतजार करने से, कोई आवेदक सफल नहीं हो सकता। जब तक अनुच्छेद 226(3) के तहत कोई आवेदन 'न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय' अर्थात उचित न्यायिक पीठ के समक्ष नहीं आता है, मामले को बुलाया नहीं जाता और फिर अंतरिम आदेश को बढ़ाए बिना स्थगित कर दिया जाता है, एक रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश में यह नहीं माना जा सकता कि यह

व्यपगत हो गया या समाप्त हो गया है।

44. अनुच्छेद 226 के खंड (3) को दो भागों में विभाजित किया गया है- पहला भाग स्थितियों/परिस्थितियों से संबंधित है जबकि दूसरा भाग परिणाम प्रदान करता है। परिणाम को केवल तभी अपनाया हुआ माना जा सकता है जब पहला भाग संतुष्ट हो या दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यदि पहले भाग में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो माना जा सकता है कि स्तगन आदेश रद्द हो गया है।

45. आवेदन का निपटारा केवल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है-न्यायाधीश को ऐसे आवेदन से निपटने के लिए रोस्टर सौंपा गया है। इसलिए, जब उच्च न्यायालय के पास अवसर या अवसर नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए खंड (3) के पहले भाग के तहत दी गई शर्तें संतुष्ट हो गई हैं कि दूसरे भाग अर्थात परिणाम का अनुमान लगाया जा सके।

46. किसी कार्य को नहीं किया गया समझा या कहा नहीं जा सकता, जहां ऐसा कार्य करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी या व्यक्ति के पास ऐसा कार्य करने का कोई अवसर या मौका नहीं है।

47. चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं आया है और अदालत के विचार के लिए नहीं रखा गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आवेदन प्राप्त होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया है। इसलिए, यह अनुमान लगाना गलत होगा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अपना जीवनकाल पूरा कर चुका है या प्रचलन में रहना बंद कर चुका है।

48. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आगे बढ़ते हुए-09.09.2020 को अंतरिम आदेश को अगली तारीख तक बढ़ाते हुए मामले को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद मामले को पहली बार 29.03.2023 को सूचीबद्ध किया गया है। अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से 29.03.2023 तक जारी रहा, हालांकि ऐसी तारीख पर, श्री शिशोदिया के प्रतिरोध पर इसे बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि वह तर्क देना चाहते थे कि अंतरिम आदेश पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए, इसे बढ़ाया नहीं

जा सकता है।

49. यदि प्रत्यर्थीगण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है और अंतरिम आदेश को प्रचलित नहीं माना जाता है, तो यह न्याय का मखौल होगा और याचिकाकर्ता को उसकी गलती के बिना उस सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा प्राप्त थी।

50. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 को पारित अंतरिम आदेश कभी समाप्त नहीं हुआ माना जाता है और इसे अगली तारीख अर्थात 19.04.2023 तक बढ़ा दिया जाता है।

51. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस मामले को देखने और संबंधित क्लर्क से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत श्री शिशोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन क्यों नहीं दिया गया है। निपटाया गया और 'न्यायालय' के विचारार्थ रखा गया। वह डीलिंग क्लर्क से भी स्पष्टीकरण मांगेंगे, जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2811/2022 और अवमानना याचिका संख्या 572/2022 को वर्तमान मामले के साथ 19.04.2023 को सूचीबद्ध किया जाए।

52. स्पष्टीकरण को सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 19.04.2023 को न्यायालय के विचारार्थ रिकॉर्ड पर रखा जाए।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

104-ArunV/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।